पंजीकृत/समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
पशुपालन विभाग
मेरठ/सहारनपुर/आगरा/अलीगढ़/मुरादाबाद/बरेली/कानपुर नगर/लखनऊ/झांसी/चित्रकूट/इलाहाबाद/वाराणसी/मिर्जापुर/फैजाबाद/गोण्डा/आजमगढ़/गोरखपुर/बस्ती ।

संख्याः- 1271/सा0-1/एक्स-160/एफ0एम0डी0-सी0पी0/18वांचरण/2015-16, दिनांक 11-03-2016

विषयः- <u>खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ0एम0डी0-सी0पी0) अन्तर्गत एफ0एम0डी0 टीकाकरण का अट्ठारहवां चरण दिनांक 14.03.2016 से प्रारम्भ किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना हैं कि खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ0एम0डी0-सीपी) का अट्ठारहवां चरण मण्डलीय मुख्यालय के जनपदों में दिनांक 14.03.2016 से चलाया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए मण्डलीय मुख्यालय के जनपदों में एफ0एम0डी0 वैक्सीन की आपूर्ति की जा चुकी है। अतः खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण की योजना के सफल संचालन हेतु दिये गये अद्यतन दिशा निर्देश में निम्न अनुदेशों का समावेश/पालन करते हुये अट्ठारहवें चरण का टीकाकरण प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सत्रहवें चरण के टीकाकरण में बनाये गये माइक्रोप्लान के अनुसार टीकाकरण निम्न निर्देशों के साथ किया जाना सुनिश्चित करें-

- दिनांक 14.03.2016 से टीकाकरण को संचालित किया जाएगा।
- टीकाकरण हेतु 1 पशु चिकित्साधिकारी, 2 पशुधन प्रसार अधिकारी, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टीम बनायें तथा आवश्यकतानुसार एवं उपलब्धता के अनुरूप पैरावेट को शामिल करते हुए अभियान में सम्मिलित करें ।
- प्रति टीम 400-500 टीका प्रति दिन की दर से टीकाकरण पूर्ण करने हेतु जनपद की पशु संख्या के अनुसार प्रत्येक जनपद में टीमों का गठन करें ।
- मण्डलीय मुख्यालय के जनपदों में ही केवल टीकाकरण कार्य किया जाना है। अतः मण्डल अन्तर्गत अन्य जनपदों से आवश्यकतानुसार स्टाफ की व्यवस्था मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2 द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- ग्राम वार, तिथि वार टीकाकरण का माइक्रोप्लान सत्रहवें चरण के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें।
- उपलब्ध सिरिंज, निडिल एवं अन्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हुये टीकाकरण प्रारम्भ करें।

- विषाणुजन्य वैक्सीन होने के कारण वैक्सीन को 2-8 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर शीत अवस्था में परिरक्षण एवं परिवहन करना अनिवार्य है।
- कोल्ड चेन अन्तर्गत जनपद स्तर पर सम्पूर्ण वैक्सीन कोल्ड कैबिनेट/आइसलाइनर्स में परिरक्षित की जाय तदोपरान्त पर्याप्त कोल्ड चेन में ब्लाक स्तर पर पहुँचाया जाये।
- ब्लाक स्तर पर दो दिन की आवश्यकतानुसार वैक्सीन की मात्रा कोल्ड बाक्सेज में परिरक्षित की जाये।
- सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी कोल्ड चेन की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
- क्षेत्र स्तर पर वैक्सीन कैरियर्स में प्रत्येक टीम को दैनिक आवश्यकतानुरूप वैक्सीन उपलब्ध करायी जाये। प्रत्येक दिन की बची हुई वैक्सीन पुनः विकास खण्ड स्तर पर परिरक्षित की जाये।
- टीकाकरण टीम द्वारा प्रत्येक पशु को लगाये गये टीके का विवरण पशु स्वामी का नाम पशु विवरण पंजिका में तिथि सहित अंकित किया जाये।
- 4 माह से कम उम्र के पशु (बच्चों) एवं 8 माह से अधिक गर्भित पशुओं का टीकाकरण नहीं किया जाना है।
- प्रत्येक टीम द्वारा प्रतिदिन टीकाकरण पंजिका में टीकाकरण का विस्तृत विवरण अंकित किया जाये एवं संकलित सूचना जनपद मुख्यालय को प्रेषित की जाये।
- प्रत्येक दिन जनपद स्तर पर संकलित सूचना उसी दिन निदेशालय पशुपालन विभाग स्थित कन्ट्रोल रूम को दूरभाष नम्बर 0522-2740832 एवं नम्बर 0522-2741991 तथा नम्बर 0522-2741992 पर सायं 03 बजे से 06 बजे तक उपलब्ध करायी जाये।
- जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित करें तथा उसका नाम व दूरभाष नम्बर निदेशालय को सूचित करें। **उचित होगा जनपद स्तर के उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी पशु स्वास्थ्य को नोडल अधिकारी नामित किया जाय इनकी अनुपस्थिति पर अन्य अधिकारी को नामित किया जाय ।**
- स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जिन ग्रामों में टीकाकरण हो उसकी सूचना समय-समय पर दी जाये, जिसके लिये जनपद स्तर के जिला जनसम्पर्क अधिकारी से सहयोग प्राप्त करें।
- तहसील दिवसों के माध्यम से टीकाकरण का पूर्ण प्रचार किया जाना उचित होगा।
- कार्यक्रम अन्तर्गत शत-प्रतिशत पशुओं का आच्छादन किया जाना है। फलतः पशु मेला, पशु बाजार आदि स्थानों का संज्ञान लेते हुये पशु मेला एवं पशु बाजार के आयोजन के दिन भी विशेष रूप से टीकाकरण किया जाये।
- भारत सरकार/उ0प्र0 शासन के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए कार्यक्रम के कियान्वयन में मितव्यता का अवश्य संज्ञान लिया जाये।

- कार्यक्रम के संचालन, वैक्सीनों एवं टीमों के परिवहन के लिये प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर कम से कम एक वाहन उपलब्ध कराया जाये। आवश्यकतानुसार वाहन को जनपद में अनुमोदित दरों पर ही किराये पर लिये जाये।
- प्रत्येक जनपद के चयनित 10 ग्रामों से, टीकाकरण के पूर्व प्रत्येक चिन्हित ग्राम से 10 गोवंशीय एवं 10 महिषवंशीय पशुओं तथा टीकाकरण उपरान्त, 30 दिन बाद पुनः उन्हीं पशुओं का रक्त/सीरम सैम्पल एकत्र किया जाये। सीरम सैम्पल एकत्र करने से पूर्व पशुओं का चिन्हिकरण किया जाये। पशुओं के चिन्हांकन की समुचित व्यवस्था की जाये।
- 18वें चरण हेतु टीकाकरण का लक्ष्य संलग्न है, जिसे शत प्रतिशत पूर्ण किया जाना है।

अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

संख्या:- /सा0-1/एक्स-160/एफ0एम0डी0-सी0पी0/16वांचरण/2014-15, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- उपायुक्त (एल0एच0), पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
5- संबंधित जिलाधिकारी, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का सतत् अनुश्रवण कराकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
6- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डलीय मुख्यालय के जनपदों में एफ0एम0डी0 टीकाकरण प्रभावी ढ़ग से कराना सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ जनपदों से आवश्यकतानुसार स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(ए0पी0 सिंह)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।